

## भारत निर्वाचन आयोग प्ररुप-8

	पावती सं0
(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 13(1) और 26 देखें)	(कार्यालय द्वारा भरी जाएं)
(लिपायक राजस्ट्राकरण लियन, 1300 के लियन 13(1) जार 20 देखें)	
निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन	
सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सभा/संसदीय निर्वाचन	पूरे चेहरे को सामने से
क्षेत्र	उपदर्शित करते हुए नवीनतम
मैं निवेदन करता हूं कि उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में आने वाली मुझसे संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नहीं है	फोटो (3.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) चिपकाने के लिए स्थान ।
और इसे शुद्ध कर दिया जाए ।	ायपकान क ।लए स्यान ।
(क) नाम	
(ख) उप नाम (यदि कोई हो)	
। (ग) निर्वाचक नामावली के साथ रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे	
सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	
	<u> </u>
निर्वाचक नामावली की भाग सं.	
(घ) ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई हो)	
(इ.) कृपया सही की जाने वाली प्रविष्टि पर निशान लगाएं नाम फोटो ईपीआईसी पता जन्म की तारीख	
आयु संबंधी का नाम संबंध का प्रकार लिंग	
(च) ई-मेल आई डी (वैकल्पिक)	
(छ) मोबाइल सं. (वैकल्पिक)	
मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसे मैं जानता हूं या विश्वास करता हूं कि असत्य	य है या जिसके सत्य होने पर मैं
विश्वास नहीं करता हूं, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है ।	
स्थान	
तारीख आवेदक के हस्ताक्षर	
क्षेत्र स्तरीय सत्यापन अधिकारी की टिप्पणी :	

की गई कार्रवाई के ब्यौरे (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाना है)										
	र्गाचक नामावली में प्रविष्टि का आवेदन स्वीकृत		-	श्री/श्रीमती/कुमारी						
[नियम 18/20/26(4) के अधीन या अनुसरण में] स्वीकार करने या [नियम 17/20/26(4) के अधीन या अनुसरण में] नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारण नीचे दिए गए हैं :										
स्थानः तारीख : निर्व	<del></del>		<del>^</del>	<del></del>						
	चिक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के हस्ता राजा (निर्वासन क्षेत्र के निर्वासक रनि			-						
किए गए विनिश्चय की सूचना (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है और अभिलेख में उपलब्ध/आवेदक दिए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाना है)										
श्री/श्रीमती/कुमारी	. आवेटन	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण								
वर्तमान पता जहां आवेदक	मामूली निवास करता है ।	मकान सं.		- प्राधिकारी द्वारा प्रेषण के समय डाक टिकट चस्पा किए - जाने हैं						
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र										
नगर/ग्राम		l 6 \								
डाकघर		पिन कोड								
जिला		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र								
(क) स्वीकार कर लिया गया है और सभा निर्वाचन क्षेत्र सं0 के भाग सं की क्रम सं को तदनुसार उपांतरित कर दिया गया है ।										
(ख)			कारण से अस्वीकृत व	कर दिया गया						
(ख)कारण से अस्वीकृत कर दिया गया है ।										
तारीख :			निर्वाचक रजिस्ट्री	करण आफिसर						
पता										
पावती सं			तारीख							
श्री/श्रीमती/कुमारी		का प्रर	<sub>हप 8</sub> में आवेदन प्राप्त ह्आ	है ।						
[आवेदक आवेदन की स्थिति जांचने के लिए पावती सं. निर्दिष्ट कर सकता है]										
		ई3	भारओ/एईआरओ/बीएलओ का	नाम/ हस्ताक्षर						

### आवेदन प्ररूप-8 भरने के लिए दिशा-निर्देश

#### प्ररूप-8 कैसे भरा जाना चाहिए

- 1. आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए जिसमें आवेदक का नाम पहले से ही अंतर्वेशित है। निर्वाचन क्षेत्र के नाम का रिक्त स्थान में उल्लेख किया जाना चाहिए।
- 2. आवेदक को आवेदन के भाग । (मद (क) और (ख)) में अपना नाम उस रूप में लिखना चाहिए जैसा कि उसे निर्वाचक नामावली में प्रतीत हो। यदि निर्वाचक नामावली में मुद्रित आवेदक के नाम के आधक्षर संक्षिप्त रूप में हैं और वे उसे विस्तृत रूप में मुद्रित कराना चाहते हैं तो वे अपना पूरा नाम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। पहले खाने में उपनाम को छोड़कर शेष पूरा नाम लिखा जाना चाहिये तथा उपनाम दूसरे खाने में लिखा जाना चाहिये। यदि आवेदक का कोई उपनाम नहीं है तो केवल दिया गया नाम ही अंकित करें। जाति का उल्लेख सिर्फ वहीं किया जाना है, जहां जाति का नाम निर्वाचक के नाम के भाग के रूप में अथवा उपनाम के रूप में प्रयुक्त है अन्यथा नहीं। सम्मानसूचक पदिवयां जैसे, श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि उल्लिखित नहीं की जानी चाहिए।
- 3. मद (ग): निर्वाचक नामावली के जिस भाग में आवेदक का नाम सूचीबद्ध है उसकी भाग संख्या तथा उस भाग में क्रम संख्या को कृपया भरें। यह अनिवार्य है।
- 4. जन्म-तिथि में त्रुटि-सुधार करने के लिए दस्तावेजी सबूत संलग्न किए जाने चाहिए जैसा कि नीचे दिया गया है:
  - i) नगर पालिका प्राधिकारियों या जन्म एवं मृत्यु पंजीयक के जिला कार्यालय द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्र-पत्र या बपतिस्मा प्रमाण-; या
  - ii) आवेदक ने जिस विद्यालय (सरकारी/ मान्यता प्राप्त) या किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में अंतिम बार पढ़ाई की हो उसके द्वारा जारी जन्म प्रमाण--पत्र; या
  - iii) यदि व्यक्ति ने दसवीं या उससे ऊपर की कक्षा उत्तीर्ण की हो तो उन्हें दसवीं कक्षा के अंक पत्र की एक प्रति देनी चाहिए बशर्ते उसमें जन्मतिथि के प्रमाणस्वरूप जन्मतिथि दर्ज हो; या
  - iV) कक्षा 8 का अंक पत्र यदि उसमें जन्मतिथि दर्ज हो; या

- V) कक्षा 5 का अंक पत्र यदि उसमें जन्मतिथि दर्ज हो; या
- Vi) यदि व्यक्ति कक्षा दसवीं तक शिक्षित नहीं हो तो उसके माता/पिता में से किसी के भी द्वारा अनुंबंध-। (रिजिस्ट्रेशन प्राधिकारियों द्वारा, मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाएगा) में दिए गए विहित फार्मेट में घोषणा-पत्र (जिन मामलों में आयु के प्रमाणस्वरूप माता-पिता की घोषणा दी जाती है, उनमे आवेदक को बीएलओ/एईआरओ/ईआरओ के समक्ष स्वयं को सत्यापित करने के लिए प्रस्तुत करना होगा); या
- Vii) यदि व्यक्ति कक्षा 10 तक शिक्षित नहीं है और माता/पिता में से दोनों ही जीवित नहीं हैं तो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या संबंधित नगर निगम पालिका समिति के सदस्य द्वारा दिया गया उसकी आयु का प्रमाण-पत्र।
- Viii) भारतीय पासपोर्ट
- ix) पैन कार्ड
- X) ड्राईविंग लाइसेंस
- Xi) यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड

टिप्पणी:- आयु का दस्तावेजी प्रमाण केवल उन्हीं मामलों में अपेक्षित होगा, जिनमें आवेदक की आयु 18 वर्ष और 21 वर्ष के बीच हो। अन्य सभी मामलों में, आवेदक द्वारा अपनी आयु की घोषणा आयु के प्रमाणस्वरूप ली जाएगी।

### निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का विवरण

- 1. यदि निर्वाचन आयोग द्वारा आवेदक को पहले ही एक फोटो पहचान कार्ड जारी किया गया है तो कार्ड संख्या (अग्र भाग पर मुद्रित) तथा कार्ड के जारी करने की तिथि (पश्च भाग पर मुद्रित) का आवेदन प्ररूप के भाग (घ) में दिए गए स्थान में उल्लेख किया जाना चाहिए। कृपया कार्ड के दोनों भागों की स्व-अभिप्रमाणित फोटो-प्रति संलग्न करें।
- 2. यदि आवेदक प्ररूप 8 के माध्यम से की गई प्रविष्टियों में दोष-सुधार के कारण एक नया एपिक चाहते हैं तो ऐसे प्रतिस्थापन एपिक जारी करने के लिए एपिक-001 में आवेदन (अनुबंध-।। के रूप में दिए गए फार्मेट के अनुसार), पुराने एपिक और प्ररूप-8 के आधार पर ईआरओ द्वारा दोष-सुधार किए जाने के बाद अपेक्षित शुल्क के साथ, किए जाने हैं।

## शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टियों के विवरण

 आवेदन के भाग (इ.) में आवेदक को उस/उन प्रविष्टि/प्रविष्टियों पर साफ-साफ तरीके से सही का निशान लगाना चाहिए जिसे/जिन्हें शुद्ध किया जाना है। इसलिए, यह आवेदन का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है।

- 2. अब देश के अधिकांश हिस्सों में निर्वाचक नामावली निर्वाचकों के फोटो के साथ मुद्रित की जाती है। यदि एक गलत फोटो को शुद्ध करने के लिए आवेदन दिया गया हो तो आवेदक आवेदन के भाग (इ.) में "फोटोग्रॉफ" पर सही का निशान लगा सकते हैं और अपना हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो आवेदन के साथ कृपया संलग्न करें। निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में दोष-सुधार की दशा में कृपया प्ररूप के मद (इ.) के ठीक नीचे इस प्रयोजनार्थ दिए गए खाने में ठीक-ठीक विवरणों (जिसे प्रस्तावित दोष-स्धार के बाद होना चाहिए) का उल्लेख करें।
- 3. अभिस्वीकृति एवं सूचना अंशों पर पूरा नाम और पता भी दिया जाना चाहिए।
- 4. आवेदक प्ररूप में मोबाइल नम्बर और ई मेल आईडी-दे सकते हैं जो वैकल्पिक है क्योंकि यदि इसे उपलब्ध कराया जाता है तो उसका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवेदक के साथ, जरूरत पड़ने पर, आगे संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

#### प्रतिस्थापन एपिक

यदि आवेदक नए पते के साथ प्रतिस्थापन एपिक चाहता हैं तो उसे उसके लिए प्ररूप-8क के आधार पर नए स्थान पर पंजीकरण होने के बाद प्ररूप एपिक-001 में आवेदन (अनुबंध-। के रूप में दिए गए फार्मेट क अनुसार), प्रतिस्थापन एपिक के लिए अपेक्षित शुल्क, और पुराने एपिक के साथ, करना चाहिए।

\*\*\*\*\*\*

## अनुबंध-। (प्ररूप-८ के लिए)

## शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

(18-21 वर्ष के आयु समूह में पहली बार के आवेदक, जिसके पास आयु का प्रमाण नहीं है, के माता/पिता/गुरु द्वारा लिया जाए/किया जाए।

~ — —
में,जिसका नाम
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की भाग संख्या
में क्रम संख्या में नामांकित है, ईश्वर के नाम से शपथ लेता/लेती
हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री/मेरा शिष्य दिनांक
01 जनवरी, 20 की स्थिति के अनुसार वर्ष का/की है और मेरे साथ रह रहा/रही है।
स्थान :
तारीख :
माता/पिता/ग्रु के हस्ताक्षर
श्री/श्रीमतीदिवस कोदिवस को
(बजे) (स्थान) पर ईश्वर के नाम में शपथ ली गई/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।
Dahara to the me were the to the to
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

# अनुबंध॥ (प्ररूप-८ के लिए)

भारत निर्वाचन आयोग										प्रर	प्ररूप आई.डी.						
<u>( अनुबंध ॥ )</u> प्रतिस्थापन निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) जारी करने के लिए आवेदन										ईस	ईसीआई-एपिक-001						
क	क राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र:																
	वि.स. निर्वाचन-क्षेत्र (सं. & नाम) :																
						जिल	<del></del> п:										
ख	निर्वाचक	का वि	वरण	(निव	चिक दव	ारा भरे उ	जाने के '	लिए)									
सेवा	1			`		_	य/महोद										
	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,											ते में गीकेट र्युक्त					
1. ਰਿ	नेर्वाचक का	नाम:									<b>कार्ड</b> की : (						
ર તિ	पेता/माता/प	ਜਿ <b>*</b> ਨ								ए।पक 4. लिंग	सं. <b>(यदि ज्ञात</b>		ाशि उ	ਾਟਿ ਚ	ान नहीं	हो तो अ	חסד
J. 1	1(11/011(11/1	1(1 44	01101	•						(पु./म.)		ी में,	119, 9	114 11	1(1 4161	61 (11 3)	"3
												जनवरी,	200_		को		
6. Ч																	
	गृह/द्वार सं गली/मोहल्ल		/ <del>11.11</del>														
	गला/माहल्ल क्षेत्र/मोहल्ल		গ/गला	•													
-	शहर/ग्राम :									(v) पिन कोड							
(vi)	पुलिस स्टेः	शन :								(vii) जिला:							
(viii)	(viii) डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करने के कारण :																
<ol> <li>मैं एपिक वीआरसी/सीएससी से संगृहीत करूंगा/करूंगी।</li> <li>मैं अपना एपिक डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ (स्व-पता-लिखित एवं डाक-टिकट लगे लिफाफे संलग्न हैं)।</li> <li>मैं एपिक बीएलओ से संगृहीत करूंगा/करूंगी।</li> <li>( )</li> <li>आवेदक के हस्ताक्षर</li> </ol>											) नाक्ष्तर						
_	उपयुक्त बॉक अंस्टरस्य						·/ <del></del>	•	दिनांक:								
<ul> <li>         ☐ मैं एतद्द्वारा अपना विकृत/पुराना कार्ड वापस करता/करती हूँ।         मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मुझे जारी पूर्ववर्ती कार्ड बाद की तारीख में     </li> </ul>																	
	प्राप्त होता है तो मैं उसे वापस कर दूंगा/दूंगी।																
	आधिकारिक इस्तेमाल के लिए																
ग         एपिक जारी करने के लिए प्रमाणीकरण ( ईआरओ के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने के लिए)           भाग सं. :         भाग में निर्वाचक की क्रम सं. : नामोदिष्ट फोटोग्रॉफी लोकेशन (डीपीएल) या # टोकन नं. या रसीद सं.																	
माग	ч.:		ď	IIOI OH	। ।नवाय	n en sne	н н.:	_	गटाग्राफा लाकरान सेंटर (सीएसई) व	-	-	# C19	നെ എ.	. યા ર	साद स		
पंजी	सं.		पं	जी में	क्रम सं				, ,,	•							
सत्या	पनकर्ता :		ह	स्ताक्ष	र												
दिनांक://200																	
<u>घ</u>	<u> </u>		<del></del>	0.7-					ा आर-एपिक की ः	आभस्वीकृ	ार्त						
(तार	ोख):		भा डुप्ल	-	एपिक प्राप 200			क के हस्ताक्षर ाूठे के निशान	<b>L</b>								